राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

क्रमांक: डीआरज / पारि / जोधपुर / मान्यता / 2013 / प्रक्र-[illegible] / [illegible] 27 दिनांक 10.5.13

सचिव / अध्यक्ष,
राजस्थान विकास संस्थान
[illegible], जोधपुर

विषय: नियम 8 ए के उपनियम (a) के अधीन विद्यालय को मान्यता [illegible] करने बाबत।

महोदय / महोदया,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.2013 के सम्बन्ध में आप [illegible] के पत्र अनुसार विद्यालय के संचालन से D.P.S. School, Pali Road, jodhpur विद्यालय को [illegible] अस्थाई मान्यता कक्षा पहली से कक्षा पांचवी तक तीन वर्ष की अवधि 01.07.2012 से 30.06.2015 तक माध्यम अंग्रेजी में संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन की जानी है:

1. [illegible] की स्वीकृति कक्षा आठ से अधिक नहीं बढ़ाई जाती है।
2. विद्यालय द्वारा [illegible] उस पोस्ट के अधीनस्थ [illegible] अधिनियम शिक्षा अधिनियम 2009 [illegible] अधी० [illegible] को [illegible]।
3. सत्र 2013-14 के दिसम्बर में [illegible] पूर्ण तरह से अक्षमता [illegible] कक्षा की स्वीकृति [illegible] के बच्चे और [illegible] रा० के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य [illegible] प्रतिपूर्ति [illegible] की जानी है।
4. अधिनियम तीन में सम्बन्धित [illegible] अधिकार और अनिवार्य शिक्षा नियम [illegible] प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय द्वारा [illegible] प्रस्तुत किया जाना।
5. सरकार / विद्यालय द्वारा [illegible] के लिए [illegible] किया जाना।
6. विद्यालय किसी भी बच्चे की आयु [illegible] नहीं [illegible] और अनुसूचित [illegible] संचालन करेगा कि-
   (i) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण [illegible] विद्यालय से बाहर निकाला जायेगा।
   (ii) किसी भी बच्चे को [illegible] से रोका से जायेगी।
   (iii) किसी भी बच्चे के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण [illegible] परीक्षा लिया/लिए नहीं की जायेगी।
   (iv) प्रत्येक बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर उस पाठ्यक्रमीय प्रमाण पत्र के साथ संस्थान से बच्चे के मुफ्त शिक्षा के अधिकार की अधिनियम शिक्षा अधिनियम 2009 [illegible] के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
   (v) अशक्तता / विशेष आवश्यकता वाले [illegible] अधिनियम 2009 के अधीन [illegible] अनुसार शामिलित किया जायेगा।
   (vi) अध्यापकों का [illegible] अधिनियम 2009 की धारा 29 [illegible] पर निर्धारित दायरे में निर्धारित की जाएगी।
   [illegible] अधिनियम 2009 की धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार पाठ्यक्रम [illegible] करेगा और
   (vii) अध्यापक / अध्यापिका [illegible] किसी भी निजी शिक्षण संस्थानों में [illegible] नहीं करेगा।
7. विद्यालय उपयुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित [illegible] के अनुसरण करेगा।

क्रमशः

D:\RTE\Manyata\2013\New Manyta Orders\[illegible] Global

[illegible]

1. [illegible] 19 [illegible] अधिनियम [illegible] अधिनियम [illegible] के [illegible]

क्रमांक	विवरण	[illegible]
1	विद्यालय परिसर [illegible]	संख्या
2	[illegible]	संख्या
3	[illegible]	संख्या
4	[illegible]	संख्या
5	[illegible]	संख्या
6	[illegible]	संख्या
7	[illegible]	संख्या
8	[illegible]	संख्या
9	[illegible]	संख्या
10	विद्यालय [illegible] संख्या [illegible]	संख्या

9. एक ही विद्यालय के लिए दो विद्यालय के [illegible] अलग [illegible] प्रावधानों का शिथिलीकरण [illegible] नहीं [illegible]
10. विद्यालय [illegible] अन्य [illegible] के लिए [illegible]
11. [illegible] अधिनियम [illegible] अधिनियम [illegible] के [illegible] के लिए [illegible]
12. [illegible] के लिए [illegible]
13. [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible] के अनुसार है।

[illegible]
जिला शिक्षा अधिकारी
[illegible]

क्रमांक: [illegible] 82-87 दिनांक: 10.5.13

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ:

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा [illegible]
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, [illegible] जयपुर।
3. श्रीमान [illegible] प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, [illegible]
4. [illegible] राजस्थान [illegible] जयपुर
5. [illegible]

[illegible]
प्रारंभिक शिक्षा [illegible]

D:\RLC\Manyata\2013\New Manyta Orders/ N 88 Success Global